... यही है।

14.1.22 पत्रावली पेश। तकील वादी उप.। प्रतिवादी के समन बाद तामील प्राप्त हो गया है, प्रतिवादी की ओर से कोई उप. नहीं है तथा न ही जवाबदावा पेश किया गया है अतः एकतरफा अमल किया जाता है। वादीनी की बहन सामीना गोचर ने पेश उप. होकर शपथपत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

मैंने द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली के उपलब्ध मेडिकल रिकार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सामीना गोचर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रिकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी आज्ञप्ति किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] गोचर

सामीना गोचर
[illegible]
(मो. [illegible])

वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय, बईजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 125/2021 तारीख दायरा 21.09.2021

उनवान

मुगलेश गोचर पुत्री स्व. लालचन्द्र पत्नि देशराज जाति गूर्जर निवासीनी घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी नीलकन्ठ कोलोनी अन्ता तहसील अन्ता जिला बांरा। — वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लेंड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सांगोद। — प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादीनी) दिनांक :— 14.01.2022

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय प्रस्तुत किया है कि वादीनी के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम घानाहेडा हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :—

खाता संख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
104	23	237	0.0700 है.
		351	0.0700 है.
		352	[illegible] है.
		353	0.0200 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

366		
488/78 उत्तरी		0.6600 है
59		0.6200 है
		0.6300 है

कुल किता 7 की 2.11 हैक्टर आराजी

वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता
की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादीनी का गांव में बोलने वाला
नाम गोलू ही दर्ज कर दिया। वादीनी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड,
भामाशाह कार्ड व शिक्षा रेकार्ड में मुगलेश पुत्री लालचन्द दर्ज है। वादीनी के ही दो नाम गांव में
बोलने वाला नाम गोलू व रेकार्डेड नाम मुगलेश है लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक
ही व्यक्ति है, वादीनी के अलावा और कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है। वादीनी केन्द्र
सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्ट्रर करवाने के लिए ई–मित्र
कियोस्क पर गई तो ई–मित्र संचालक ने खाते में व आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में एक ही
नाम होने पर ही केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर करने
की कही। वादीनी को केन्द्र सरकार की योजना का लाभ वाद पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजी में
व अन्य दस्तावेजात मे नाम सही होने तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम रजिस्ट्रर
करने से इन्कार कर दिया इस कारण से वादीनी के लिए आवश्यक होने पर वादीनी पटवारी हलका
के पास गई, उनके द्वारा वादीनी का नाम सही नहीं करने पर वादीनी प्रतिवादी के पास गई तो
प्रतिवादी द्वारा भी वादीनी का नाम सही नहीं किया इस कारण से वाद पेश करना आवश्यक हुआ
है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजी में दर्ज वादीनी के नाम गोलू पुत्री लालचन्द्र जाति गूर्जर निवासी घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा के स्थान पर मुगलेश गोचर पुत्री लालचन्द्र जाति गूर्जर निवासी घानाहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज करने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की तलबी हो चुकी है। सूचना होने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब सरकार बंद किया जाता है। इसके पश्चात वादीनी ने ग्राम पंचायत श्यामपुरा के सरपंच का गोलू पुत्री लालचन्द्र एवं मुगलेश गोचर पुत्री लालचन्द्र एक ही व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

किया। वादीनी की बहन समीना गोचर ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी में गोलू पुत्री लालचन्द्र के स्थान पर मुगलेश गोचर पुत्री लालचन्द्र किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, मामाशाह कार्ड, शिक्षा संबंधी दस्तावेज, समीना गोचर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

माल ग्राम घानाहेडा पटवार हलका नाहरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की निम्न आराजी स्थित है :–

खाता सख्या नई	पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
104	23	237	0.0700 है.
		351	0.0700 है.
		352	0.0200 है.
		353	0.0200 है.
		355	0.5800 है.
		488/78 उत्तरी	0.5200 है.
		59	0.8300 है..

कुल किता 7 की 2.11 हैक्टर आराजी

उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम गोलू पुत्री लालचन्द्र के स्थान पर मुगलेश गोचर पुत्री लालचन्द्र अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 14.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:35 IST
Reason: SelfAttested